

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

CEM  
81

27-4-17

क्रमांक प. 18(36)नविवि/एनएचपी/2014पाट

जयपुर, दिनांक :- 11

सचिव,  
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

सचिव,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
जयपुर।

27 APR 2017

सचिव,  
नगर विकास न्यास,  
समस्त।

कार्यकारी निदेशक,  
रीको,  
जयपुर।

EM(HQ)

28-4-17

निदेशक,  
स्थानीय निकाय विभाग,  
जयपुर।

138  
28/4/17

श्री सुरेश चन्द  
28/4/17

28/4/17

विषय :- मुख्यमंत्री जन आवास योजना -2015 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट हेतु ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री आवास योजना -2015 के अधीन पात्र व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित आवासीय इकाईयों के पट्टे या विक्रय के लिखत पर प्राथमिकीय स्टाम्प शुल्क हेतु वित्त विभाग (कर अनुभाग) की अधिसूचना क्रमांक एफ4(3)वित्त/कर/2017-113 दि. 08.03.2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

26/4/17  
(राजेन्द्र सिंह शिखावत)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास न्यास, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वित्त विभाग की अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करावे।

26/4/17  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2017


राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी/टैक्स/2016-220 दिनांक 08.03.2016 को अतिरिक्त करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यासों, नगरपालिकाओं, रीकेस एंड इन्स जेजी विकासकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन पात्र व्यक्तियों के पत्र में निष्पादित आवासीय इकाई के पट्टे या विक्रय की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटया जायेगा और इस शर्त पर प्रतिफल की रकम का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में क्रमशः 2 प्रतिशत और विभिन्न आय समूह के मामले में 3.5 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा कि जेजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय इकाई के आवंटन की दशा में आवंटित, आवासीय इकाई के पट्टे या विक्रय के विलेख के रजिस्ट्रेशन के समय,-

- (i) मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन अनुमोदित स्कीम के तहत की प्रतियां; और
- (ii) विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यासों, नगरपालिकाओं से, यथास्थिति, रीकेस द्वारा अनुमोदित समस्त आवंटितियों की सूची;

प्रस्तुत करेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-113]

सच्यपाल के आदेश से,

  
शंकर लाल कुमावत,  
संयुक्त शासन सचिव

शंकर लाल कुमावत

(पेज-2)


राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

दिनांक:- 29/5/17

क्रमांक:- 176

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष / राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियंता (मु. 0) प्रथम/द्वितीय/ निदेशक (विधि)/मुख्य संपदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय (मु.0) रा.0 आ.0 मा.0, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, रा.0 आ.0 मा.0 जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, .....
7. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
8. प्रभारी नागरीक सेवा केन्द्र, मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
- ✓ 9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को ई-मेल करें।
10. रक्षित पत्रावली।

  
सम्पदा प्रबन्धक(मु.0)

